राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015
फोनः– 0141-5150963 फैक्सः– 0141-2705067
website : http://www.rsos.rajasthan.gov.in e-mail : rajasthansos@gmail.com

क्रमांकः प. 10 (31)/आरएसओएस/जय/परीक्षा/2015–16 /13719-50 दिनांक :- 22.03.16

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

जिला ......समस्त......(राज0)

विषय :– माह अप्रैल–मई, 2016 में आयोजित होने वाली राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाओं के निरीक्षण एवं व्यवस्था के क्रम में।

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों की सीनियर सैकण्ड़री एवं सैकण्ड़री परीक्षाएं 13 अप्रैल, 2016 से प्रस्तावित हैं। लिखित परीक्षाओं का समय सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। जिले में जिला शिक्षा अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र के प्रभारी रहेगें तथा आरएसओएस की परीक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा) प्रथम, जिले के नोडल अधिकारी होंगे। पत्र के साथ परीक्षा कार्यक्रम संलग्न है।

आपको इस परीक्षा के दौरान निम्नलिखित कार्य सम्पादित कराने हैं।

1 राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा मे केन्द्र के संस्था प्रधान को ही केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जाता है। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं होने की स्थिति में आप द्वारा वहां के कार्यरत प्रभारी को केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जाना है केवल अपरिहार्य स्थिति में ही आप अन्य किसी निकटवर्ती विद्यालय के संस्था प्रधान को केन्द्राधीक्षक नियुक्त कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से मानदेय ही दिया जाता है टी.ए./डी.ए. नहीं दिया जाएगा।

2 प्रायोगिक परीक्षा हेतु यदि स्थानीय विद्यालय में परीक्षक उपलब्ध नहीं है तो जिले के अन्य राजकीय विद्यालयों से वांछित योग्यताधारी परीक्षक की नियुक्ति करेगें। परीक्षक को आरएसओएस द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा। बाह्य परीक्षक को नियमानुसार यात्रा भत्ता भी दिया जावेगा। प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षक वांछित योग्यताधारी एवं राजकीय विद्यालय से ही लगाये जावें यदि सरकारी विद्यालय में भी उपलब्ध नहीं हो तो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कार्यरत वांछित योग्यताधारी सैकण्डरी एवं सी.सैकण्डरी को शिक्षण कराने वाले शिक्षक ही लगायें जावें।

3 आपको अपने जिले के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक सतर्कता पर्यवेक्षक नियुक्त करना है। यह पर्यवेक्षक व्याख्याता या उससे ऊपर के पद का कार्यरत/सेवानिवृत अधिकारी जो उक्त परीक्षा केन्द्र से 5 से 15 कि.मी. की दूरी में कार्यरत या रहने वाला हो। उसी विद्यालय में कार्यरत नहीं होना चाहिए। उन्हें 100 रू. प्रतिदिन मानदेय दिया जावेगा। टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा। उनके मानदेय का भुगतान बिल के साथ आपके नियुक्ति पत्र की प्रति व केन्द्राधीक्षक का उपस्थिति प्रमाण पत्र भेजने पर इस कार्यालय से किया जावेगा।

4 परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक व फर्नीचर आवश्यकतानुसार न होने पर निकट के विद्यालय से व्यवस्था करावें। फर्नीचर लाने ले जाने का वाहन किराया (ढुलाई) देय होगा। आवश्यकता होने पर टेन्ट की अनुमति प्रदान करें।

5. 13 अप्रैल, 2016 से आपको अपने कार्यालय में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना करनी होगी। जिसका समय सुबह 11:00 से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा। आपके जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर RSOS की परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न हो रही हैं, इस हेतु आप स्वयं आश्वस्त होकर रिकॉर्ड संधारित करें। यदि जिले में किसी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा आयोजन में किसी प्रकार का व्यवधान है तो आप तुरन्त दूरभाष नम्बर 0141–5150936, 2705067 पर सूचित करें।

22.3.16

6. केन्द्राधीक्षकों को परीक्षा के दौरान अगर कोई समस्या आती है तो उसका जिला स्तर पर समाधान करें। यदि राज्य मुख्यालय से किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो तो राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष 0141–5150936 को सूचित करें। आपातकालीन स्थिति में आप श्री दयाराम महरिया, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के मोबाइल न0 9950999735 पर भी सूचित करें।

7. RSOS द्वारा आयोजित माह अप्रैल–मई, 2016 की परीक्षा के प्रश्न–पत्र जिले के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर सीधे ही Insured Parcel से भिजवाये जा चुके है। आपके जिले के निर्धारित केन्द्रों की सूची (मय थाने के नाम एवं पता) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। प्रश्न–पत्रों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के प्रश्न–पत्रों की भांति संबंधित थाने में रखा जाना है इस संबंध में निर्देश केन्द्राधीक्षकों को दे दिये गये है।

8. जिले में परीक्षा अवधि में निरीक्षण संबंधी आदेश पूर्व में भिजवाये जा चुके हैं। तदनुरूप निरीक्षण एवं उड़नदस्ते की व्यवस्था सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान आप पुलिस थाने से प्राप्त प्रश्न पत्रों की संख्या (प्राप्त, वितरित, शेष) प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम आदि व्यवस्था सुनिश्चित करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिए आवश्यक पुलिस बल से सहयोग लेने हेतु पुलिस अधीक्षक अथवा थाना प्रभारी से सहयोग लेकर समुचित व्यवस्था करें ताकि परीक्षा की विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनी रहे। इसके लिए पुलिस अधीक्षक को शासन सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा, राज0 का पत्र भिजवाया जा रहा है।

आपके जिले में अप्रैल–मई, 2016 निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची संलग्न है।

संलग्न :– 1. निरीक्षण प्रपत्र 2. परीक्षा कार्यक्रम 3. जिले के परीक्षा केन्द्रों की सूची।

कमलेश आबुसरिया
उप शासन सचिव (माध्यमिक शिक्षा)
एवं
निदेशक
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जयपुर, जोधपुर, चूरू, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।

दयाराम महरिया
सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल,
जयपुर